राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 590/2025

सुशीला कुमारी सैनी **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.03.2025
आदेश की दिनांक : 19.03.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री बींजाराम जाजडा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ANM) के पद पर उप स्वास्थ्य केन्द्र, 28 NTR नोहर, हनुमानगढ में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप स्वास्थ्य केन्द्र, श्योदानपुरा, नोहर हनुमानगढ में प्रत्यर्थी संख्या 6 सुमन राहड पुत्री नेकीराम राहड के स्थान पर किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 के आदेश दिनांक 15.11.2024 (अनुलग्नक–4) द्वारा सुमन राहड को उप स्वास्थ्य केन्द्र, श्योदानपुरा, नोहर हनुमानगढ में दो वर्ष के प्रोबेशन काल में नियुक्ति प्रदान की गई है, तदानुसार सुमन राहड वर्तमान में प्रोबेशन काल में विभाग में कार्यरत है। स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 के बिन्दु संख्या 2 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि उक्त सूची में यदि कोई कार्मिक प्रोबेशन काल में हो तो उन पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा। प्रत्यर्थी संख्या 5 के आदेश दिनांक 20.01.2025 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को नये पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त कर दिया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह

भी तर्क है कि स्थानान्तरण आदेश के बिन्दु संख्या 2 में कार्मिक के प्रोबेशन काल में कार्यरत होने पर यह आदेश प्रभावी नहीं होने के स्पष्ट दिशा–निर्देश के उपरान्त भी अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया है, जोकि अनुचित एवं विधि विरूद्ध है, ऐसे में अपीलार्थी को वर्तमान कार्यरत स्थल से कार्यमुक्त किया जाना उचित नहीं है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोहर को प्रेषित पत्र दिनांक 12.03.2025 द्वारा निर्देशित किया गया है कि अपीलार्थी का असहमति से स्थानान्तरण होने पर प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय के पत्र दिनांक 11.02.2025 द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के निदेशालय, जयपुर भिजवाया गया है तथा इस सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्राप्त होने तक कार्मिक को यथावत स्थान पर रखा जावे। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि इस प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष रिट याचिका संख्या 3571/2025 के तहत प्रस्तुत किया गया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने विनिश्चय दिनांक 17.03.2025 द्वारा यह प्रकरण राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में प्रस्तुत करने की लिबर्टी के साथ खारिज कर दिया है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुक्रम में यह अपील इस अधिकरण में प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलार्थी ग्राह्य की जाकर आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 20.01.2025 (अनुलग्नक–1 एवं 2) को अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित करते हुए प्रत्यर्थीगण को नोटिसेज जारी किये जावें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।

4. अपीलार्थी द्वारा उठाया गया प्रश्न विचारणीय है। अपील ग्राह्य की जाती है। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग के निदेशालय, जयपुर से इस प्रकरण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्राप्त होने तक अपीलार्थी को वहीं यथावत कार्यरत रखा जावे, जहां पर चुनौती आदेश जारी किये जाने से पूर्व कार्यरत था। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी का स्थानांतरण नियमानुसार नए सिरे से करने के लिए स्वतंत्र रहेगा, जिसमें यह आदेश बाधक नहीं होगा।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य